

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम कोर्ट) कैम्प

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पर टयारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील जिला की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ठालेडा	22	वीरु मेर	खाली मेर

Jhan
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी, एचएम
 जे.एम. सहा. कलक्टर

दिनांक :- 17/10/2025

क्रमांक :- 125/312

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

Jhan
 पीठासीन अधिकारी
 सहायक कलक्टर एवं
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी, एचएम
 जे.एम. सहा. कलक्टर